गया, जिससे आम, लीची एवं अमरूद की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई।

- राज्य में कृषि शिक्षा के प्रति छात्रों में आकर्षण पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से स्नातक स्तर पर प्रत्येक पंजीकृत छात्र को 2,000 रू0 प्रति माह की दर से छात्रवृत्तिएवं 6,000 रू0 प्रतिवर्ष किताबों के खरीदने के लिए राशि दी जा रही है। इस योजना को डेयरी, बागवानी, कृषि अभियंत्रण, पशु चिकित्सा एवं मत्स्य शिक्षा के छात्रों के लिए विस्तारित किया गया है।
- किसानों तथा प्रसार कार्यकर्ताओं के क्षमता संवर्द्धन एवं उन्हें कृषि की नवीनतम तकनीकी से अवगत कराने के लिए बामेती एवं आत्मा स्तर पर वर्ष 2008-09 से वर्ष 2014-15 तक 13.38 लाख किसानों, पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण, 5.55 लाख किसानों, पदाधिकारियों/कर्मचारियों का परिभ्रमण तथा 15,367 महिला एवं पुरुष किसान-हित समूह का गठन किया गया।
- तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों द्वारा वर्ष 2011-12 में बिहार को धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, **'कृषि कर्मण पुरस्कार'** से सम्मानित किया गया। साथ ही, राज्य के एक महिला एवं एक पुरुष कृषक को धान में उत्कृष्ट उत्पादन के लिए एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया।
- भारत सरकार द्वारा पुनः **वर्ष 2012-13 में गेहूँ उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार** दिया गया।
- वर्ष 2014 में 'दियारा विकास योजनान्तर्गत 627.98 लाख रुपये की लागत से नेनुआ, कद्दू, तरबूज, परवल आदि फसल के प्रभेद उन्नयन, 75 प्रतिशत अनुदान पर बाँस बोरिंग वितरण तथा पायलट प्रोजेक्ट के तहत् मटर बीज प्रत्यक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित की गयी।
- वर्ष 2014-15 में राज्य में दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, देसरी (वैशाली) और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजीटेबल्स, चण्डी (नालंदा) का निर्माण कराया गया।

  सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, देसरी में अभी तक लगभग 35.20 लाख फल पौध सामग्री तैयार की गई है, जबकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजीटेबल्स, चण्डी में अभी तक लगभग 60.00 लाख सब्जी पौध सामग्री तैयार की गई है। दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभी तक लगभग 3,713 कृषकों को फल एवं सब्जी के गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री के उत्पादन तथा फसल संबंधी क्रियाओं पर आधारित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, सबौर, भागलपुर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केन्द्र-2014 के सम्मान से नवाजा गया।
- वर्ष 2014 में 105.65 करोड़ रुपये की लागत से मीठापुर (पटना) में संयुक्त कृषि भवन तथा आवसीय भवन का निर्माण एवं आधुनिकीकरण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2015 में किशनगंज में डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है।
- संसाधन संरक्षण तकनीक को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक 7.60 लाख एकड़ में जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती की गई।
- बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी का सुदृढ़ीकरण किया गया। इसके माध्यम से वर्ष 2006-07 में 5,280 हे0 क्षेत्र का प्रमाणीकरण किया गया था, जो 2014-15 में बढ़कर 31,976 हे0 हो गया। साथ ही, कुदरा (कैमूर), भागलपुर एवं मुज़फ्फरपुर में क्षेत्रीय कार्यालय निर्माणाधीन है।
- वर्ष 2010-11 से मई, 2015 तक 4,00,133 पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई, 1,64,721 एच0डी0पी0ई0 वर्मी कम्पोस्ट इकाई, 8,864 गोबर गैस संयंत्र, 207 वाणिज्यिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई तथा 18 वाणिज्यिक बायो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है।
- 'कृषि यंत्रों के वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु वर्ष 2014-15 से कृषि यांत्रिकरण योजना में आवेदन प्राप्ति से लेकर यंत्र वितरण तक की ऑन-लाइन व्यवस्था हेतु नैकेनाइजेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया।
- सरकार द्वारा 11 विद्यालयों में वर्ष 2015 से इंटर कक्षा में कृषि की पढ़ाई प्रारंभ की गयी और इसका विस्तार प्रत्येक जिला के एक विद्यालय में किया जा रहा है। राज्य में 27 उच्च विद्यालयों में इंटर (कृषि)/आई0एससी0 (एजी0) की शुरुआत की गई है।

वर्ष 2015 से 2020

- भारत सरकार द्वारा वर्ष **2015-16 एवं 2016-17 में मक्का उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार** दिया गया।
- भारत सरकार द्वारा पुनः **वर्ष 2017-18 में गेहूँ उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार** दिया गया।
- वर्ष 2016 में बीजों के आनुवांशिक शुद्धता की जांच के लिए डी0एन0ए0 लैब की स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2016 में ताड़, खजूर इत्यादि से मूल्य संवद्धित उत्पाद जैसे नीरा, गुड़, चीनी, कैंडी आदि बनाने हेतु योजनाबद्ध ढंग से शोध कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2016 में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना एवं हरी खाद योजना के तहत् किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर मूँग बीज एवं 90 प्रतिशत अनुदान पर ढैंचा बीज का वितरण किया गया। इस योजनान्तर्गत 2,37,368 हेक्टेयर में मूँग तथा 3,07,535 हेक्टेयर में ढैंचा की खेती की गयी।
- वर्ष 2016 में गोबर गैस को प्रोत्साहित करने हेतु 2,176 संयंत्र स्थापित तथा किसानों के बीच अनुदानित दर पर 77,668 क्विं0 वर्मी कम्पोस्ट का वितरण किया गया।
- वर्ष 2016 में राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से राज्य बागवानी मिशन द्वारा दिसम्बर, 2015 से अभी तक 01 मशरुम उत्पादन इकाई, 4 मशरुम स्पॉन उत्पादन इकाई एवं 2 समेकित मशरुम इकाई का संस्थापन, जिस पर लाभुकों को कुल 87 लाख रुपये का अनुदान मुहैया कराया गया। महिला समूहों को कुल 66,015 संख्या में मशरुम स्पॉन एवं कम्पोस्ट का किट 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2016 में विभिन्न फसलों के कुल छः प्रभेद यथाः सबौर तीसी-1, सबौर निर्जल गेहूँ, भागलपुर कतरनी धान, सबौर मखाना-1, सबौर बेल-1, और सबौर लीची-1 विकसित करके दिनांक 29 अगस्त 2016 को सरकार के राज्य बीज उप समिति की अनुशंसा प्राप्त की गयी।
- वर्ष 2016 में मक्का एवं बारानी खेती पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्वीकृति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त की गयी।
- वर्ष 2016 में जर्दालू आम, कतरनी धान, शाही लीची और मगही पान को देश-विदेश में पहचान दिलाने हेतु जी.आई (G-I) पंजीकरण की कार्रवाई शुरु की गयी।
- वर्ष 2016 में TVU (Television for Agriculture Programe Unit) सिस्टम के माध्यम से किसानों के खेतों से वैज्ञानिकों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि की समस्याओं के निराकण के लिए सीधे संवाद की शुरुआत की गयी।
- वर्ष 2016 में खेती-बारी संबंधित तकनीकी फिल्मों की मोबाईल पर संचालन हेतु कम लागत की मोबाईल एस.डी. कार्ड का किसानों के बीच वितरण किया गया।

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

- वर्ष 2016 में किसान ज्ञान रथ के माध्यम से युवाओं में कृषि के प्रति रुझान पैदा करने का प्रयास किया गया।
- वर्ष 2016 में किसान चैपाल के माध्यम से पाँच लाख कृषकों को कृषि तकनीकों की जानकारी प्रदान की गयी।
- वर्ष 2016 में नाबार्ड से प्राप्त आर्थिक सहायता से कटिहार, पूर्णियाँ एवं सहरसा मखाना में कृषक उत्पादक संघ की शुरुआत की गयी।
- वर्ष 2016 में दलहन बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 03 सीड हब तथा प्रजनक बीज उत्पादन हेतु 01 सीड हब की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त किया गया।
- वर्ष 2016 में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मद्देनजर सरकार द्वारा गैर परम्परागत जिलों में मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2016-17 में अब तक 163.90 लाख रुपये की लागत से 4,017.93 क्वीं0 बीज का वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त मडुआ का प्रत्यक्षण, अरहर एवं संकर बाजरा का बीज अनुदानित दर पर वितरण करने का कार्यक्रम संचालित किया गया।
- कृषि विज्ञान केन्द्र, हरनौत (नालंदा) को वर्ष 2016 के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केन्द्र सम्मान (जोनल) प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2016 में कृषि विज्ञान केन्द्र, माँझी (सारण) को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, जोन-II का सर्वोत्तम कृषि विज्ञान केन्द्र पुरस्कार से सम्मानित की गयी।
- वर्ष 2017-18 में 16.35 करोड़ रुपये की लागत से बामेती भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- पहले दो कृषि रोड मैप के विभिन्न कार्यक्रमों में किसानों की भागीदारी, उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि, बिहार के किसानों की माली हालत में सुधार, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विस्तार से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नए उत्साह एवं ऊर्जा का संचार हुआ और इन्हीं सभी उपलब्धियों से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने तीसरे कृषि रोड मैप लाने का निर्णय लिया।
- **तृतीय कृषि रोड मैप** के प्रारुप पर 16 जून, 2017 को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किसान समागम में विचार हुआ तथा तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ 9 नवंबर, 2017 को तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी द्वारा किया गया। इस कृषि रोड मैप की अवधि वर्ष 2017-22 तक थी। कोरोना काल में योजनाओं के क्रियान्वयन में थोड़ी अड़चनें आईं, जिसकी वजह से इसमें **एक वर्ष की अवधि को बढ़ाया गया।**
- तीसरे कृषि रोड मैप का निम्न बातों को केन्द्र बिंदु बनाया गया-
  - प्रत्येक भारतवासी के थाल में बिहार का एक व्यंजन
  - खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा
  - समावेशी विकास
  - किसानों की आय में वृद्धि

इस कृषि रोड मैप के तहत कुछ नई पहल/लक्ष्य निर्धारित किये गये यथाः-

- गुणवत्तायुक्त बीज के उत्पादन, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना।
- गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जैविक कॉरिडोर के तहत जैविक सब्जी का उत्पादन। इसके लिए इनपुट सब्सिडी की विशेष व्यवस्था।
- स्थानीय कृषि यंत्र निर्माताओं को प्रोत्साहित करने हेतु स्थानीय कृषि यंत्र निर्माता प्रोत्साहन योजना।
- प्रत्येक जिला के लिए मुख्य बागवानी फसल को चिह्नित कर उनके विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।
- राज्य के सहकारी प्रक्षेत्र के माध्यम से सब्जी संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन की त्रिस्तरीय व्यवस्था।
- पैक्सों का कम्प्यूटराईजेशन।
- दुग्ध, मछली एवं अण्डा उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना।
- बैकयार्ड मुर्गीपालन, बकरीपालन तथा सुकरपालन को व्यापक बढ़ावा।
- राज्य के हरित आवरण को 17 प्रतिशत पहुंचाने के लिए हरियाली मिशन की योजनाओं के तहत 12.24 करोड़ वृक्षारोपण।
- ड्रेनेज एवं सिवरेज का परिशोधित जल नदी में ना बहाकर इसका उपयोग खेती में सिंचाई के लिए करने के लिए विशिष्ट योजना।
- कृषि के लिए पृथक फीडर की स्थापना कर रोटेशन में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 100 तक की आबादी के सभी ग्रामीण बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान करना।
- भूमि सर्वे एवं बंदोबस्ती कार्य को अंतिम रुप देना एवं भू-अभिलेखों का कम्प्यूटराईजेशन।
- बीज वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने हेतु ऑनलाइन बीज वितरण की व्यवस्था वर्ष 2019-20 से प्रारंभ की गई, जिसमें किसान अपने मोबाईल से या पंचायत के वसुधा केन्द्रों/कॉमन सर्विस सेन्टर से बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं।

  अब तक 78,88,581 किसानों को 17,54,665 क्विंटल बीज का वितरण ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत गया।
- मेघदूत योजनांतर्गत राज्य के पांच जिलों क्रमशः नालंदा, सुपौल, पूर्वी चम्पारण, गया एवं अरवल में पंचायत स्तर पर टेलीमेट्रिक रेनगेज एवं प्रखण्ड स्तर पर टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन की स्थापना की गई।
- जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के क्रम में 20 नवम्बर, 2019 को **जल-जीवन- हरियाली अभियान के अंतर्गत जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम** का 08 जिलों में शुभारंभ किया गया।
- बीजों के स्रोत ट्रैकिंग के लिए क्यू०आर० कोड (क्विक रिस्पॉन्स कोड) का इस्तेमाल बिहार राज्य बीज निगम में दिनांक 20.08.2020 से प्रारंभ कर दिया गया है। यह कार्य पूरे देश में सर्वप्रथम बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है।

वर्ष 2020 से अब तक

- **बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 के तहत** मखाना, फल और सब्जियां, शहद, औषधीय और सुगंधित पौधे, मक्का, चाय एवं बीज जैसी प्रमुख सेक्टर/फसलों में प्रसंस्करण एवं उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) का प्रावधान किया गया है।
- **बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020** का मुख्य उद्देश्य बिहार में कृषि व्यवसाय क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस नीति के तहत उद्यमियों को राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- **वर्ष 2020 में बीजों की होम डिलीवरी के तहत** कोरोना संक्रमण काल में देश में पहली बार राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनके **घर तक बीज** पहुंचाया गया, जिसकी सराहना भारत सरकार द्वारा भी की गई और इस मॉडल को सभी राज्यों को अपनाने की अनुशंसा की गई।

बेटा-बेटी एक समान। दहेज-प्रथा करे सबका अपमान ।।

वर्ष 2022-23 में 2,44,772 किसानों को **बीजों की होम डिलीवरी** के तहत कुल 8869.35 क्विंटल बीज पहुंचाया गया।

- 7 निश्चय-2 के तहत हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निश्चय-3 के रुप में **'हर खेत तक सिंचाई का पानी'** को सम्मिलित किया गया तथा इससे संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यतः जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग तथा कृषि विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।
- कृषि विभाग द्वारा इस निश्चय के तहत मुख्यतः **पक्का चेकडैम योजना** एवं **सामूहिक नलकूप योजना** का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

  सामूहिक नलकूप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 3,325 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

  पक्का चेकडैम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक 1,186 योजनाओं के माध्यम से 6286.99 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 819 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर 4107.76 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।
- **आपदा में फसल क्षति हेतु सहायता**- सरकार की नीति के अनुसार आपदा की घड़ी में सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। इस नीति के अनुसार कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन तथा योजनाओं में निहित लाभ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।

  आपदा की स्थिति में **कृषि उपादान** अनुदान 1000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति एकड़ किया गया है। प्रति एकड़ 2000 रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था राज्य सरकार अपने निधि से कर रही है।
- बिल एवं मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के सहयोग से **'बिहान ऐप'** की शुरुआत की गई है। इस ऐप के माध्यम से कृषि संबंधित सभी सूचनाओं का एकल विंडो से उपयोग की नई शुरुआत की गई है।
- वर्ष 2021 में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, पटना की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।
- **माप-तौल के सभी 08 सेवाओं का ऑनलाइन निष्पादन**- माप-तौल संभाग की सभी सेवाएं यथा सत्यापन-मुहरांकन, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति का नवीकरण एवं डिब्बाबंद वस्तुओं का पंजीकरण का निष्पादन ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे आम व्यापारियों को माप-तौल के कार्यों में सुगमता एवं पारदर्शी रूप से सेवाएं दी जा रही हैं।
- कस्टम हायरिंग सेन्टर के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए कृषि यांत्रिकरण हेतु राज्य योजना 2022-23 अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर संचालनकर्ताओं के प्रशिक्षण की योजना कार्यान्वित की जा रही है।
- मिट्टी की उर्वरा शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती के अंतर्गत 6 लाख से अधिक वर्मी-कम्पोस्ट इकाईयां स्थापित की गईं तथा 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हरी खाद योजना से आच्छादित कर ढ़ैचा और मूंग लगाया गया।
- 13 जिलों में **जैविक कॉरिडोर** विकसित किया गया, जिसमें क्लस्टर में जैविक खेती की जा रही है।
- जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत भूमि एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से **सूक्ष्म सिंचाई योजना** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- मौसम में हो रहे परिवर्तन के अनुसार फसल चक्र तथा कृषि तकनीक में परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए किसानों को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरूआत की गई है।
- **कृषि उपज के लिए नए बाजार व्यवस्था की शुरूआत**-किसानों की सहायता के लिए बिहार एग्री वैल्यू चेन सिस्टम (बाभास डिवीजन) का गठन किया गया है। कृषि उत्पादों को निर्यात करने के लिए फाइटोसेनेट्री सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। पटना में फाइटोसेनेट्री सर्टिफिकेट निर्गत करने की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। **2020 में पहली बार राज्य से शाही लीची तथा जर्दालू आम का लंदन निर्यात किया गया।** किसानों को कृषि उपज की बिक्री तथा कृषि उपज के प्रसंस्करण में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का गठन किया गया है।
- **कृषि उत्पादों का निर्यात**- बिहार में कृषि निर्यात की वृद्धि 2005 में 3 करोड़ रू0 से बढ़कर अब 2,000 करोड़ रू0 हो गई है।
- माप-तौल से प्रदायी सभी 8 सेवाओं को **बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम** के दायरे में लाया गया है।
- कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं जैव प्रौद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए कृषि रोड मैप के अनुरूप उच्च शिक्षा हेतु दो नये विभाग यथाः Molecular Geneties तथा Nano Technology की स्थापना की गयी।
- तृतीय कृषि रोड मैप (2017-23) अंतर्गत यांत्रिकरण कार्यक्रम के तहत 609 कम्बाईन्ड हारवेस्टर, 2,178 पावर टिलर, 2,528 जीरो टिलेज एवं 18 पैडी ट्रांसप्लान्टर अनुदानित दर पर वितरित किए गए।
- किसानों के खेत की मिट्टी की जांच तथा इसके आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य के 38 जिलों में जिलास्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं एवं प्रत्येक प्रमंडल में एक-एक यथा कुल 09 चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, पटना जिला के अंतर्गत पालीगंज वितरणी कृषक सहयोग समिति एवं 24 ग्रामस्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में मिट्टी के नमूनों की जांच की जाती है। कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में 25.34 लाख मिट्टी के नमूने संग्रह किए गए, जिसमें 24.03 लाख नमूनों की जांच की गई तथा 86.66 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए।
- बिहार में कृषि के विकास एवं किसानों के हित में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कृषि रोड मैप के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का संचालन किया गया। इन प्रयासों से प्राप्त उपलब्धियों को देखते हुए चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ भी किया गया है। पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में 18 अक्टूबर, 2023 को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023-28) का शुभारंभ किया गया।
- **चतुर्थ कृषि रोड मैप के प्रमुख उद्देश्य हैं-** खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, समावेशी विकास के तहत रैयत किसानों के साथ-साथ गैर-रैयत एवं महिला किसानों को बढ़ावा, सतत् विकास की परिकल्पना, कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, पर्यावरण को अक्षुण्ण रखने के संकल्प, छोटा किसान-बड़ा फार्मिंग अर्थात किसानों का संगठन बनाकर उनके विकास का कार्य, कृषि उत्पादन और उत्पादन के पश्चात क्षति को कम करने के लिए कार्य, टाल एवं दियारा तथा चैर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य तथा आधारभूत संरचना आदि में निवेश को परिलक्षित किया गया है।
- इस रोड मैप के माध्यम से कृषि उत्पादों की उपज में वृद्धि होगी, भंडारण, प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार होगा, कृषि उपादानों जैसे बीज, सिंचाई, तकनीकी परामर्श आदि सुलभता से किसानों को प्राप्त होगी। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। किसानों की आमदनी बढ़ेगी और वे सक्षम होंगे। इस रोड मैप के तहत 1 लाख 62 हजार करोड़ रू0 की लागत से योजनाओं का कार्यान्वियन होगा।
- **कृषि इनपुट अनुदान** का लाभ वर्ष 2021-22 में 12,47,832 किसानों को दिया गया, जिसमें 51403.76 करोड़ रू0 का वितरण किया गया। वर्ष 2023-24 में 2,05,017 किसानों को 18 करोड़ 15 लाख रू0 वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही **फसल सहायता योजना** के अंतर्गत भी किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में 16,810 किसान चैपाल के आयोजन किए गए। 99,016 प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर किसानों/पदाधिकारियों/प्रसार कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया और 1,166 **किसान पाठशाला** का आयोजन कर किसानों को हुनरमंद बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612-2217048 पर करें।

Nov. 2024

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

बिहार सरकार

कृषि विभाग
बिहार सरकार

राज्यस्तरीय कृषि यांत्रिकरण
(एग्रो बिहार-2024)
कृषि विभाग, बिहार सरकार
राज्यस्तरीय कृषि यात्रिकरण मेला
एग्रो बिहार-2024
कृषि विभाग

कृषि विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

कृषि

बिहार को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्रक्षेत्रों के विकास की योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा हैं। राज्य की आबादी का लगभग तीन चैथाई हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर है। राज्य में वर्ष 2005 में सरकार गठन के पश्चात ही **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार** जी ने बिहार के विकास में कृषि के महत्व को समझते हुए कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कई पहल की। उत्पादन से लेकर विपणन तक सभी चरणों पर ध्यान देते हुए कृषि क्षेत्र में कई नये प्रयोग किए गये जिसका परिणाम बेहद सकारात्मक रहा।

शुरूआती दिनों में इस प्रक्षेत्र के विकास कार्यों में कई प्रकार की चुनौतियां सामने आईं। राज्य में बीज की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। कृषि प्रसार तंत्र मृतप्राय था। उत्पादन एवं उत्पादकता न्यून स्तर पर थी। राज्य सरकार का यह ध्येय रहा कि कृषि प्रक्षेत्र का विकास हो ताकि संपूर्ण राज्य और देश को इसका लाभ मिले। कृषि का विकास कर बिहार को देश के विकास में भागीदार बनाने के लिए काम शुरू किया गया। एक-एक कर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए गए। वर्ष 2005 से पूर्व राज्य के किसानों का कोई विश्वसनीय आँकड़ा उपलब्ध नहीं था। ऐसे में किसानों के ऑनलाईनपंजीकरण की व्यवस्था प्रारंभ करते हुए उन्हें 13 अंकों की यूनिक आई0डी0 देने की व्यवस्था की गयी। आज कृषि विभाग के डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) पोर्टल पर लगभग 2 करोड़ किसानों ने अपना ऑनलाईन पंजीकरण कराया है। किसानों को नई तकनीक की जानकारी देने हेतु किसान ज्ञान रथ की सेवा प्रारंभ की गयी तथा पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक एवं तकनीकी प्रबंधकों की नियुक्ति की गयी।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु उन्हें समेकित करते हुए राज्य में कृषि रोड मैप का सूत्रण किया गया। अबतक राज्य में तीन कृषि रोडमैप- प्रथम कृषि रोड मैप (2008-2012), द्वितीय कृषि रोड मैप (2012-2017), तृतीय कृषि रोड मैप (2017-2023) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में काफी उपलब्धि देखने को मिली है। इसी को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 से 2028 तक के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप को अपनाया गया है।

सरकार द्वारा राज्य के विशिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया गया है। इसका सकारात्मक परिणाम यह निकला कि अभी तक बिहार के छः कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जर्दालु आम, भागलपुर का कतरनी चावल, मिथिला का मखाना, मगध का मगही पान, पश्चिमी चम्पारण का मर्चा धान शामिल है। यह राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है।

राज्य में 7 अनुसंधान केंद्र स्थापित किये गये हैं। इनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् रिसर्च कॉम्प्लेक्स, पूर्वी क्षेत्र, पटना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय केंद्र, दरभंगा, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, समेकित कृषि के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, मोतिहारी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय, पूसा, समस्तीपुर, क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केंद्र, बेगूसराय तथा केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, पटना शामिल हैं।

कृषि के महत्व को समझते हुए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय-2 के तहत हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निश्चय-3 के रूप में 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' को सम्मिलित किया गया तथा इससे संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा अबतक क्रियान्वित तीन कृषि रोडमैप के परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे हैं। इस अवधि में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनो में काफी वृद्धि दर्ज हुई तथा राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को पहचान मिली। इस कारण भारत सरकार द्वारा बिहार को वर्ष 2011-12 में चावल, वर्ष 2012-13 में गेहूं, वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में मक्का तथा वर्ष 2017-18 में गेहूं के उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कुल 5 **कृषि कर्मण पुरस्कार** दिया गया।

उत्पादन

- **चावल** का उत्पादन कृषि रोड मैप शुरु होने से पहले वर्ष 2005-06 में 37.08 लाख मीट्रिक टन था, जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर औसतन 76.56 लाख मीट्रिक टन हो गया।
- **गेहूं** का उत्पादन वर्ष 2005-06 में 28.22 लाख मीट्रिक टन था जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर औसतन 63.60 लाख मीट्रिक टन हो गया।
- **मक्का** का उत्पादन कृषि रोड मैप शुरु होने से पहले वर्ष 2005-06 में 15.19 लाख मीट्रिक टन था, जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर औसतन 36.42 लाख मीट्रिक टन हो गया।
- **तिलहन** का उत्पादन कृषि रोड मैप शुरु होने से पहले 01.31 लाख मीट्रिक टन था, जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर औसतन 01.37 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
- **फलों** का उत्पादन कृषि रोड मैप शुरु होने से पहले 32.52 लाख मीट्रिक टन था, जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर औसतन 49.86 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
- **सब्जियों** का उत्पादन कृषि रोड मैप शुरु होने से पहले 140.68 लाख मीट्रिक टन था, जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर औसतन 178.56 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

उत्पादकता

- **चावल** की उत्पादकता वर्ष 2005-06 में 11.41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर 26.03 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गयी है।
- **गेहूं** की उत्पादकता वर्ष 2005-06 में 14.10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर 28.86 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गयी है।
- **मक्का** की उत्पादकता वर्ष 2005-06 में 22.98 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर 55.41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गयी है।
- **दलहन** की उत्पादकता कृषि रोड मैप शुरु होने से पहले 7.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर 8.22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गयी है।
- **तिलहन** की उत्पादकता कृषि रोड मैप शुरु होने से पहले 9.57 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर 12.44 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गयी है।
- **फलों** की उत्पादकता कृषि रोड मैप शुरु होने से पहले 113.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर 137.37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गयी है।
- **सब्जियों** की उत्पादकता कृषि रोड मैप शुरु होने से पहले 170.07 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में बढ़कर 197.40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गयी है।
- **बागवानी** के अंतर्गत 4,29,235 मधुमक्खी बक्सा वितरण, 35 मशरूम उत्पादन यूनिट, 3,495 हेक्टेयर में फूल एवं औषधीय पौधों की खेती, 2,922.94 हेक्टेयर में मसाला की खेती की बेहतर उपलब्धि हासिल हुई। मधु के उत्पादन में बिहार देश का अग्रणी राज्य है। सब्जी की उत्पादकता में कृषि रोड मैप 2017-23 के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 85 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है तथा फल की उत्पादकता में लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 79 प्रतिशत उपलब्धि हुई।
- **मखाना**- वर्ष 2012 तक बिहार में मखाना की खेती लगभग 13,000 हेक्टेयर में होती थी, जिसकी उत्पादकता 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। **मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना** के अंतर्गत मखाना का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिससे मखाना की खेती के रकबा की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2019-20 में मखाना विकास योजना प्रारंभ की गई। वर्तमान में मखाना की खेती लगभग दोगुने रकबा 27,267 हेक्टेयर में की जा रही है तथा इन उन्नत प्रभेदों से उत्पादकता 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है।
- **मशरूम**-वर्ष 2005-06 से पूर्व बिहार में मशरूम का उत्पादन नगण्य था। वर्तमान में राज्य में 35 मशरूम उत्पादन इकाई, 13 मशरूम स्पॉन इकाई तथा 8 मशरूम कम्पोस्ट इकाई स्थापित हैं। प्रत्येक वर्ष औसतन 3-5 लाख मशरूम किट अनुदानित दर पर किसानों के बीच वितरण तथा मशरूम की खेती पर प्रशिक्षण के आयोजन के फलस्वरूप आज बिहार के सभी 38 जिलों में मशरूम का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में मशरूम का कुल उत्पादन 28,000 मीट्रिक टन हो रहा है, जो कि पूरे देश में उत्पादित मशरूम का 10.82 प्रतिशत है।
- **शहद**- राज्य में 2005-06 से पूर्व शहद उत्पादन बहुत कम मात्रा में किसानों द्वारा किया जाता था। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 20,000 से 1,00,000 तक मधुमक्खी बक्सा छत्ता सहित अनुदानित दर पर वितरण किया गया तथा शहद उत्पादन पर प्रशिक्षण दिया गया। इसका परिणाम है कि आज बिहार में शहद का कुल उत्पादन 20,477 मीट्रिक टन हो गया है।
- **केला**- राज्य में वर्ष 2005-06 में केले की खेती 27,988 हेक्टेयर में होती थी, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 42,961.27 हेक्टेयर में हो रही है। जहां वर्ष 2005-06 में राज्य में केले का कुल उत्पादन 9.20 लाख मीट्रिक टन होता था, जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 19.80 लाख मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2005-06 में केला की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 32.87 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 46.07 मीट्रिक टन हो गया।
- **धान** का बीज विस्थापन दर वर्ष 2006-07 में 12 प्रतिशत से बढ़कर कृषि रोड मैप 2017-23 की अवधि में 50.17 प्रतिशत, गेहूं का 11 प्रतिशत से बढ़कर 40.97 प्रतिशत, मक्का का 60 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया है।

इस प्रकार गत 18 वर्ष की अवधि में राज्य में कृषि क्षेत्र में काफी प्रगति देखने को मिली है।

वर्ष 2005 से 2010

- **वर्ष 2006 में** कृषकों की समस्या पर समग्रता से विचार करने, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी तथा कृषि उत्पादों के वाजिब दाम किसानों को दिलाने के लिए **कृषि आयोग** का गठन किया गया।
- वर्ष 2006 में **बिहार राज्य बीज निगम लि0** को पुनर्जीवित किया गया। प्रारंभ में बीज भंडारण की सुविधा मात्र 4 स्थानों- कुदरा, हाजीपुर, भागलपुर एवं बेगूसराय में थी। वर्तमान में 9 जिलों में भंडारण हेतु गोदाम बनाकर निगम द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 15 स्थानों पर गोदाम निर्माणाधीन है।
- फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में बीजों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। इसी को ध्यान में रखकर कृषि रोड मैप में बीज उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2006-07 में सभी 241 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों पर **आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम** की शुरुआत की गई। साथ ही, बिहार राज्य बीज निगम से संबद्ध प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त बीज का उत्पादन कराया गया। वर्ष 2006-07 में आधार बीज एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन क्रमशः 16,274 एवं 6,294 क्विंटल था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 38,742 क्विंटल एवं 2,68,559 क्विंटल हो गया। वर्ष 2021-22 में कुल 2,92,806 क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया।

  अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम के तहत 2006-07 में 6,200 क्विंटल बीज बांटे गए, वहीं यह आंकड़ा वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,74,683 क्विंटल हो गया।
- सुखाड़ प्रभावित किसानों को सिंचाई हेतु प्रति लीटर डीजल पर 10 रुपये अनुदान दिया गया।

  वर्तमान में अल्पवृष्टि एवं सूखा के कारण फसलों को बचाने हेतु सिंचाई के लिए किसानों को **डीजल अनुदान** की सुविधा आवेदन करने के 25 दिनों के अंदर ऑनलाइन दी जाती है। डीजल अनुदान योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कुल 9,62,553 किसानों के बीच कुल 146.39 करोड़ रुपये राशि का वितरण किया गया। वर्ष 2023-24 में 3,49,296 किसानों को 53 करोड़ 98 लाख रुपये का अंतरण उनके बैंक खाते में किया गया है।
- 'वर्ष 2005-06 तक राज्य में 275 शीतगृह कार्यरत थे। वर्ष 2005-06 के बाद अभी तक 84 नये शीतगृह (क्षमता 5.18 लाख मे0 टन) का निर्माण किया गया तथा 16 नये शीतगृह (क्षमता 1.16 लाख मे0 टन) निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 359 शीतगृह कार्यरत है , जिसकी कुल क्षमता 38.83 लाख मे0 टन है।
- किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए कृषि उपज बाजार अधिनियम को निरसित किया गया।
- वर्ष 2006 में बीज और जूट पर बिक्री कर समाप्त किया गया।
- वर्ष 2006 में कृषि की उत्पादकता में बढ़ोतरी के उपाय सुझाने के लिए **भूमि सुधार आयोग** का गठन किया गया।
- वर्ष 2006 में **सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र** की स्थापना की गयी। कृषि विज्ञान केन्द्र, बिरौली, समस्तीपुर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के जोन 2 का सर्वोतकृष्ट कृषि विज्ञान केन्द्र पुरस्कार दिया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र, बाढ़ (पटना) में सामुदायिक रेडियो की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2006 में सभी **जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)** का गठन किया गया।
- वर्ष 2006 में 19 जिलों में **राष्ट्रीय बागवानी मिशन** की शुरुआत की गयी।
- वर्ष 2006 में किसानों को सम्मानित करने हेतु किसान सम्मान योजना की स्वीकृति दी गयी, इसके अंतर्गत राज्य स्तर और जिला स्तर पर किसानरत्न, किसानश्री और किसान भूषण पुरस्कारों की स्वीकृति तथा वितरण किया गया।
- वर्ष 2006 में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए माइक्रोइरिगेशन योजना के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश की स्वीकृति दी गई।
- वर्ष 2006 में नूरसराय, नालंदा में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गयी जिससे उद्यान क्षेत्र में शिक्षा एवं शोध में गुणात्मक सुधार हुआ।
- वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा दी जा रही 25 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त चयनित कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार द्वारा भी अलग से 25 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2007 में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सहरसा में मंडन भारती कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2007 में राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए नया बाग लगाओ अभियान की शुरुआत की गयी।
- कृषि क्षेत्र को आधारभूत क्षेत्र के रूप में स्वीकारते हुए सरकार ने वर्ष 2008 को कृषि वर्ष घोषित करते हुए इसके विकास के लिए प्रथम कृषि रोड मैप की परिकल्पना की गयी और इसके स्वरुप पर हितधारकों के व्यापक विमर्श हेतु श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 17 फरवरी, 2008 को किसान पंचायत का आयोजन किया गया। कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों की राय से इसको अंतिम स्वरुप दिया गया। इस प्रथम कृषि रोड मैप की अवधि 2008 से 31 मार्च, 2012 तक थी।
- प्रथम कृषि रोड मैप में कृषि, पशुपालन, गव्य विकास, मत्स्य पालन और सहकारिता को समन्वित कर कार्य किया गया।
- प्रथम कृषि रोड मैप के अंतर्गत उपादान यथा- बीज, उर्वरक आदि की व्यवस्था से लेकर उत्पाद के विपणन तक की व्यवस्था पर काम शुरु किया गया। प्रथम कृषि रोड मैप के तहत मुख्य उद्देश्य रहें-
  - उपादानः पहुंच, आपूर्ति एवं गुणवत्ता
  - तकनीक का हस्तांतरण तथा प्रसार
  - कृषि आय बढ़ाने की योजनाएं
  - विपणन
- वर्ष 2008 में गुणवत्तायुक्त बीज किसानों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार एवं बीज ग्राम योजना** की शुरुआत की गयी। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत वर्ष 2008-09 में 26,268 क्विंटल बीज का वितरण किया गया था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 36,460 क्विंटल हो गया। बीज ग्राम योजना के अंतर्गत 2007-08 में 575 क्विंटल बीज का वितरण किया गया, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 21,078 क्विंटल हो गया।
- **किसानों की आमदनी को निरंतर बढ़ाने** के लिए प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि की सोच के साथ फसल विविधिकरण को अपनाया गया। बागवानी आदि के लिए सकारात्मक पहल की गई।
- उर्वरकों की आपूर्ति में कठिनाइयों को देखते हुए **हरी खाद एवं केंचुए की खाद के उत्पादन** का कार्य किया गया। अनुदानित दर पर अन्य उर्वरकों की आपूर्ति हेतु कार्ययोजना बनाई गई। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने एवं परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना पर विचार किया गया। जैव नियंत्रण प्रयोगशाला, कीटनाशी एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य को प्राथमिकता सूची में रखा गया।

  अबतक 496 लाख रुपये की लागत से भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा में तीन क्षेत्रीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिनमें अकार्बनिक एवं कीटनाशी नमूने की जाँच प्रारंभ किया जाना है।
- अंतर फसल अवधि की समय-सीमा को कम करने के लिए एवं समय पर बुआई सुनिश्चित करने के लिए **वृहद् कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम** तैयार किया गया। इसमें खेतिहर महिलाओं के अनुरूप प्रयुक्त होने वाले कृषि उपकरणों को भी महत्व दिया गया।

  अबतक सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुंगेर एवं भागलपुर में कृषि यांत्रिकी बैंक की स्थापना एवं संचालन किया गया है।
- इसके अतिरिक्त प्रथम कृषि रोड मैप में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में **श्री विधि** धान एवं गेहूं का उत्पादन, **संकर प्रभेदों** की धान की खेती को प्रोत्साहित करने, **जीरो टिलेज विधि** से गेहूं की बुआई, **कृषि विकास योजनाओं के आकार में वृद्धि** की गई।
- आधुनिक कृषि और कृषि तकनीक से किसानों को अवगत कराने हेतु भी प्रयास किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र भ्रमण, किसान सम्मान योजना, ई-किसान भवन की स्थापना, कृषि में सूचना तकनीक के प्रयोग आदि की दिशा में अहम कदम उठाए गए।

  अबतक 534 प्रखंडों में से 271 प्रखंडों में ई-किसान भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 263 प्रखंडों में निर्माणाधीन है। राज्य के 16 जिलों में प्रस्तावित जिला कृषि भवनों में से अबतक 15 जिलों में भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है।
- प्रथम कृषि रोड मैप में किसानों की आय में वृद्धि हेतु भी कार्य किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर द्वारा समेकित कृषि मॉडल तैयार किया गया। इसके माध्यम से फसल उत्पादन, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, बतख पालन, मत्स्य पालन आदि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हेतु कार्य किए गए।
- **विपणन** के तहत किसानों को उनके उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता मूल्य का बेहतर हिस्सा दिलाने के उद्देश्य से समेकित बाजार प्रबंधन पर ध्यान दिया गया।
- वर्ष 2008 में बागवानी फसलों के लिए 24 मॉडल नर्सरी और 11 लघु नर्सरी एवं नये बाग लगाओ अभियान के अन्तर्गत 11795 हेक्टेयर क्षेत्र में नये बागों की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2008 में 4904 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना की गयी तथा 78 सामुदायिक तालाबों का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2009 में राज्य के प्रत्येक प्रखंड के 5 गाँवों में कृषि विकास शिविर आयोजित कर किसानों की समस्याओं को स्थल पर ही समाधान किये जाने का कार्यक्रम तथा कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं की जानकारी देने का कार्यक्रम संचालित किया गया।
- वर्ष 2009 में राज्य के 338 पौधा संरक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया।
- वर्ष 2009 में 1,293 कृषक क्षेत्र पाठशाला का आयोजन कर 33,270 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया।
- वर्ष 2009 में बिहार राज्य बीज निगम द्वारा हाजीपुर, बेगूसराय एवं भागलपुर में नये बीज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की गई।
- वर्ष 2009 में प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया।
- राज्य के 10 जिलों- लखीसराय, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, सारण, शिवहर, सुपौल, गोपालगंज, पू0 चम्पारण एवं किशनगंज में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किया गया।
- **वर्ष 2009 में** 16 जिलों (प0 चम्पारण, पू0 चम्पारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, पटना, नालंदा एवं गया) में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम की स्वीकृति दी गयी। मिशन कार्यक्रम के सुचारु संचालन हेतु **'बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेन्ट सोसाइटी'** का गठन किया गया।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल जिलों को छोड़कर अन्य 22 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तर्ज पर **मुख्यमंत्री बागवानी मिशन कार्यक्रम** की शुरुआत की गयी।
- वर्ष 2009 में मांग आधारित पावर टिलर योजना, मांग आधारित वर्मी कम्पोस्ट योजना तथा मांग आधारित स्प्रिंकलर सिंचाई योजना की शुरुआत की गयी।
- **वर्ष 2009 में** पाँच वर्षों में फलों के 1 करोड़ गुणवता वाले पौधा रोपन सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए **मुख्यमंत्री तीव्र बागवानी विकास योजना** की शुरुआत की गयी।
- वर्ष 2009 में एशियन विकास बैंक की सहायता से विघटित बाजार समितियों के बाजार प्रांगण के विकास योजना की शुरुआत की गयी।
- वर्ष 2009 में 10 जिलों (लखीसराय, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, सारण, शिवहर, सुपौल, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण एवं किशनगंज) में 'कृषि विज्ञान केन्द्र' स्थापित की गयी।
- वर्ष 2009 में सभी प्रखंडों में किसान भवन स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- 2009 में आलू एवं प्याज फसल उत्पादक किसानों को रु0 1,000 प्रति एकड़ की दर पर अनुदान उपलब्ध कराने की योजना क्रियान्वित की गयी।
- वर्ष 2009 में कृषि शोध एवं शिक्षा **'राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय एवं आइओवा राज्य विश्वविद्यालय'** (संयुक्त राज्य अमेरिका) के बीच एकेडमिक समझौता हुआ।
- वर्ष 2009 में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने हेतु पहल की गयी।
- वर्ष 2009 में राज्य में **'बोरलॉग इन्स्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया'** की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से समन्वय एवं पहल की गयी।
- वर्ष 2010 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर की स्थापना की गयी। बाद में बिहार कृषि विश्वद्यालय, सबौर, भागलपुर में ई-लाइब्रेरी एवं डिजीटल लाइब्रेरी की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2010 में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमरांव, बक्सर की स्थापना की गयी।

वर्ष 2010 से 2015

- 'वित्तीय वर्ष 2010-11 से राज्य में टिश्यू कल्चर केले के पौधे लगाने की योजना स्वीकृत की गयी, जिसमें कृषकों को खेती के कुल लागत का 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया। अब तक 10,732 एकड़ में 1.32 लाख टिश्यू कल्चर केले का रोपण कराकर पारम्परिक प्रजाति का प्रतिस्थापन कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक 18,667 एकड़ में अन्तर्वर्ती फसल के रूप में हल्दी, ओल एवं अदरख की खेती के लिए किसानों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गयी।
- वर्ष 2011 में भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2011 में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती के लिए किसानों को लगभग एक लाख क्विंटल ढैंचा का बीज निःशुल्क वितरित की गयी। 3.70 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ढैंचा की खेती प्रारंभ की गयी।
- 22-24 जून 2011 तक पटना में जैविक बिहार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जैविक उत्पादों के ब्रांडिंग हेतु "**जैबि**" ब्रांड की शुरुआत की गयी।
- वर्ष 2011 में जैविक खाद के लिए अगले 5 वर्षों में 255 करोड़ रुपये से अधिक व्यय की महत्वाकांक्षी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गयी। वर्मी कम्पोस्ट के साथ बायो गैस को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम शुरु किया गया।
- प्रखंड स्तर पर 09 एवं 23 सितम्बर, 2011 को मेगा किसान क्रेडिट कैम्प का आयोजन किया गया। इसमें किसान क्रेडिट के साथ-साथ कृषि प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण किया गया। प्रथम बार पंचायत स्तर पर नियोजित विषयवस्तु विशेषज्ञों के माध्यम से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- हर गांव से मिट्टी जाँच अभियान 20-25 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ किया गया। हर गांव से पांच मिट्टी नमूने लिए गये। इस अभियान में 2,07,000 मिट्टी नमूने एकत्रित किये गये।
- 09 सितम्बर, 2011 को समस्तीपुर जिला से बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना की शुरुआत की गयी।
- पहले कृषि रोड मैप की सफलता से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने द्वितीय कृषि रोड मैप को तैयार करने के लिए कृषि कैबिनेट समिति का गठन किया गया तथा अप्रैल, 2011 में बैठक आयोजित कर कृषि रोड मैप तैयार करने हेतु 14 समितियों का गठन किया गया। समितियों के प्रतिवेदन पर कैबिनेट समिति की बैठकें की गईं तथा कृषि रोड मैप का प्रारुप निर्धारित किया गया।
- वर्ष 2012 में कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए देश में पहली बार कृषि कैबिनेट का गठन किया गया, जिसमें कृषि एवं उससे संबंधित विभाग तथा शिक्षा विभाग सहित 18 विभाग सम्मिलित है। इस रोड मैप में वर्ष 2012-17 तक के लिए विस्तृत कार्यक्रम निरुपित किया गया।
- द्वितीय कृषि रोड मैप के प्रारुप को 4 फरवरी, 2012 को आयोजित किसान समागम में किसानों के समक्ष उनके सुझाव हेतु रखा गया। इस प्रारुप को सुझाव आमंत्रित करने के लिए वेबसाईट पर भी डाला गया। कृषि रोड मैप पर दिनांक 27 एवं 28 फरवरी, 2012 को बिहार विधान सभा तथा दिनांक 1 मार्च, 2012 को बिहार विधान परिषद् में विचार-विमर्श किया गया। सभी आवश्यक सुझावों को सम्मिलित करते हुए कृषि रोड मैप का अनुमोदन कैबिनेट द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 2012 को किया गया। इस रोड मैप में 2017 तक के लिए विस्तृत कार्यक्रम तथा 2022 तक के लिए सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए।
- द्वितीय कृषि रोड मैप कार्यक्रमों का शुभारंभ 3 अक्टूबर, 2012 में तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा किया गया।
- दूसरा कृषि रोड मैप पहले की तुलना में अधिक व्यापक था। इसमें कृषि, पशु एवं मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, भूमि सुधार, ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, ग्रामीण सड़क, भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कार्य शुरु किए गए।

द्वितीय कृषि रोड मैप के तहत मुख्य उद्देश्य रहें-

  - किसानों की आमदनी में वृद्धि
  - खाद्यान्न सुरक्षा
  - पोषण सुरक्षा
  - रोजगार का सृजन तथा मजदूरों के पलायन पर रोक
  - कृषि विकास का समावेशी मानवीय आधार तथा महिलाओं की व्यापक भागीदारी
  - प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा सतत् उपयोग
  - प्रत्येक भारतीय की थाली में बिहार का एक व्यंजन

- कृषि उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाए गए। उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को देखते हुए भंडारण, मूल्य संवर्द्धन, विपणन एवं प्रसंस्करण को भी प्राथमिकता दी गई। सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन तथा विस्तार पर काम किया गया। डीजल पर आधारित सिंचाई को कम करने तथा डेडिकेटेड फीडर के माध्यम से बिजली की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में कार्य किया गया। भूमि सर्वेक्षण, चकबंदी की व्यवस्था आदि पर भी कार्य किया गया। इस दौरान माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट स्तर पर कृषि शिक्षा की शुरूआत के दीर्घकालीन प्रभाव की अपेक्षा की गई।
- द्वितीय कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन से कृषि, बागवानी (लीची, मखाना, आम, अमरुद) तथा सब्जियों में आलू, बैंगन, भिंडी, गोभी के उत्पादन में सकारात्मक बदलाव देखे गए। शहद और मशरूम के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
- वर्ष 2012 में आम, अमरुद, लीची के बागों में मधुआ कीट, तना छेदक कीट इत्यादि के कारण फल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव एवं उत्पादन क्षमता में लगातार ह्रास को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा **'बगीचा बचाओ अभियान'** की योजना चलाई गई, जिसके तहत् 3.47 लाख एकड़ बागों की जुताई एवं 33.69 लाख पेड़ों की पुताई का कार्य कराया

बिटिया मेरी अभी पढ़ेगी, शादी की सूली नहीं चढ़ेगी।

14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे,
कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह-सवेरे।

बेटी है एक वरदान। दहेज देकर मत करो अपमान।।

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के संबंध में शिकायत
टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।